

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

सिनेमाज ऑफ इंडिया

संशोधित

अधिकारों का प्रत्यायोजन

प्राधिकारी / निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 4 फरवरी 2012 तथा  
26 जून 2012

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. एनी बेसेंट रोड,  
वरली, मुंबई 400018

अधिकारों का प्रत्यायोजन : रा.फि.वि.नि

### अधिकारों का प्रत्यायोजन:

प्रबंध निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में निहित सभी अथवा उनमें से कुछ अधिकारों का कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिये पूरा प्रयोग कर सकता है (जैसा कि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन में निहित है) सिवाय उन मामलों के जिनका उल्लेख अनुलग्नक-ए में किया गया है. इनके लिये निदेशक मंडल और / अथवा केंद्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है.

1.प्रबंध निदेशकों को दिये गये अधिकारों का प्रयोग निम्न के अधीन ही होगा-

- कंपनीज एक्ट **1956** के प्रावधान.
- कंपनी के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ असोसिएशन.
- केंद्रीय सरकार से संबद्ध आदेश तथा निर्देश.
- निदेशक मंडल द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाने वाली नीतियां, नियम, अधिनियम तथा बजट.
- आर्थिक औचित्य के सिद्धांत
- आर्थिक सहमति, जहां आवश्यक हो वहां विचार विमर्ष . जिन मामलों में निदेशक (वित्त) और प्रबंध निदेशक के बीच सहमति न हो, प्रबंध निदेशक उपयुक्त निर्णय लेकर उसे लागू करेगा.
- स्वीकृत बजट में फंड की उपलब्धता. प्रबंध निदेशक को फंड्स के पुनः विनियोजन के पूर्ण अधिकार हैं. प्रबंध निदेशक स्वीकृत फंड के कुल प्रावधान से राशि को अधिक भी होने दे सकता है बशर्ते कि वह इस बात के प्रति आश्वस्त हो कि बड़ी हुई राशि संशोधित बजट अनुमानों के जरिये नियमित की जा रही है. और-
- निदेशक मंडल द्वारा सामान्य निगरानी तथा निर्णायक नियंत्रण.

2. प्रबंध निदेशक को इस बात का हक है कि उसे जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, वह उनमें से कुछ / सभी निदेशक (वित्त), निदेशकों, महाप्रबंधकों, अथवा अपने अधीन काम करने वाले अन्य अधिकारियों के बीच उनका उप प्रतिनिधित्व कर दे जिससे कि वह उन उत्तरदायित्वों का तेजी से तथा कुशलता पूर्वक निर्वाह कर सके जो उसे सौंपे गये हैं.

3. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की ओर से प्रबंध निदेशक को इस बात के लिये पूरी तौर पर अधिकृत किया गया है कि वह कंपनी, इसके कर्मचारियों, इससे संबंधित मामलों के खिलाफ दायर किसी भी तरह के मुकदमे अपील, पुनर्मूल्यांकन, पुनरीक्षण, रिट पिटीशन, आदि में हस्तक्षेप, मध्यस्थता, बचाव, बहिष्कार जैसी कोई भी उपयुक्त कार्यवाही किसी भी अदालत अथवा अर्ध न्यायालयीन प्राधिकरण में करे. कंपनी के विरुद्ध जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कंपनी के हितों की रक्षा करे. किसी भी न्यायालय अथवा अर्ध न्यायालयीन प्राधिकरण में जो शपथपत्र, आवेदन, निवेदन पत्र, विरोध पत्र अपील आदि दाखिल हों उन पर वह हस्ताक्षर करे और उन्हें सत्यापित करे. न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलों को लागू करे, कार्यान्वित करे, न्यायालय की आज्ञा का पालन करवा कर उसे संतुष्ट करे, वकालतनामे पर हस्ताक्षर करे, किसी विवाद का फैसला होने पर यदि किसी व्यक्ति, बोर्ड अथवा अधिकारी से कंपनी का पैसा लेना बनता हो तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करे.

4. प्रबंध निदेशक को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की ओर से इस बात के लिये पूरे अधिकार दिये गये हैं कि वह अनुबंधों को क्रियान्वित करे, सहयोग के अनुबंधों अथवा प्रतिबंधों, सामान्य अथवा विशिष्ट प्रपत्र जिनमें संयुक्त उपक्रम भी शामिल हैं, सेवा अनुबंध / बॉन्ड्स, क्षतिपूर्ति / गारंटी बॉन्ड्स तथा लीज / लाइसेंस संबंधी दस्तावेज, कानूनी किस्म के बंधक पत्र, पावर ऑफ एटॉर्नी आदि पर होने वाले किसी भी किस्म के कानूनी खर्चों को स्वीकृत करे और कंपनी के व्यापार कार्य के संबंध में कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे.

5. प्रबंध निदेशक के पद से नीचे के अधिकारियों को उप अधिकार प्रदान करने संबंधी विवरण संलग्नक II में दिया गया है. कुछ मामलों में प्रबंध निदेशक के अधिकार भी इसमें दिये गये हैं ताकि उनके बारे में सुस्पष्टता बनी रहे. क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालय के विभाग प्रमुख को दिये गये अधिकार उनके कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होते हैं फिर भी, निदेशक (वित्त) आवश्यकता पड़ने पर विभाग अध्यक्ष के अधिकार ग्रहण कर सकता है.

6. रु. 50,000. से अधिक की राशि के हर प्रस्ताव के लिये वित्तीय स्वीकृति / राय आवश्यक है. वित्तीय राय संबंधी सीमाओं / स्वीकृतियों का विवरण डी ओ पी के पैरा 9, भाग 3 में दिया गया है.